

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 11/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री पवन कुमार पुत्र श्री भोलानाथ बंसल विक्रेता मैसर्स:-बंसल ट्रेडर्स, प्रधान जी का कटला, मैन मार्केट, महवा जिला-दौसा ।
2. संजय अग्रवाल प्रो० मैसर्स दुर्गा मार्केटिंग, ए-7 बस्सी सीतारामपुरा, पानीपेच तिराहा, झोटवाडा रोड, जयपुर ।
3- Mr. Khadga Paudel Incharge/Nominee M/S CG Foods Enterprise, 77 Sector 4, II E Pantnagar, (U.S. Nagar) Uttarkhand 263153,
4- M/S-CG Foods Enterprise, 77 Sector 4, II E Patnagar, (U.S. Nagar) Uttrakhand 263153.

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप० ।

: अप्रार्थी सं० 1 स्वयं उपस्थित ।

: श्री पंकज चेची अधिवक्ता अभियुक्तगण सं० 2 लगायत 4 स्वयं उपस्थित ।

–: आदेश :-

दिनांक 27.12.2017




संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) सं० एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 6.6.2015 को सायं 05:30 बजे मैसर्स- बंसल ट्रेडर्स, प्रधान जी का कटला, मैन मार्केट, महवा जिला- दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री पवन कुमार पुत्र श्री भोलानाथ बंसल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में गत्ते के तीन कार्टून प्रति कार्टून 30 पीस वजनी 180 ग्राम पैकिंग में पैक नूडल्स (वाई-वाई) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 12 पीस मूल पॉलीपैक X 180 ग्राम वजन के नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 220 रु नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ.के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा नूडल्स (वाई-वाई) (3 पीस पॉलीपैक X 180 ग्राम) के मूल पॉलीपैक पर चिपकाकर पैकिटो पर पॉलीपैक को अलग-अलग एक


न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर पैकेटों पर डी. ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1118 गोंद से चिपकाकर पैकेटों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकेटों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर पैकेटों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आये व गवाहान के हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकेटों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की तथा अलग से जरिये डाक एक प्रति मुल्जिम संख्या 2 को भेजी। जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पॉलीपैक एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पॉलीपैक व फार्म नं. 6 की सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 8.6.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकेट व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.6.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकेट व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.6.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई-वाई) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं. 0 एल.एस./1604/एक्ट/2015/560 दिनांक 24.7.2015 डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई-वाई) का नमूना मिसब्रान्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। अभियुक्त सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी पवन बंसल प्रो. बंसल ट्रेडर्स महावा नूडल्स (वाई-वाई) संजय अग्रवाल मैसर्स दुर्गा मार्केटिंग जयपुर से बिल द्वारा बैंक से भुगतान कर खरीदता हूँ। उक्त बिल की फोटोप्रति मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। मैं उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई-वाई) को केवल विक्रय करता हूँ, इसका उत्पादन नहीं करता हूँ। अधिवक्ता अभियुक्तगण सं. 2 लगायत 4 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई-वाई) के पैकेट के लेबल का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी से अधिक नहीं है। इसलिये पैकेट के लेबल पर "List of Ingredients, Lot no. or batch no. or code no., nutritional information and instructions for use" प्रिन्ट करने से छूट प्रदान की हुई है, किन्तु जैसा कि परिवाद में दिया गया है हो सकता है कि यह छूट सिर्फ होलसेल

प्रकरण संख्या : 11/2017 एफ एस एस एक्ट

अथवा मल्टीपीस पैकेट पर ही हो, होलसेल एवं मल्टीपीस पैकेट के सन्दर्भ में "List of Ingredients, date of manufacture/packing, best before, expiry date labeling of irradiated food and vegetarian logo/ non vegetarian logo" के विवरण निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः निवेदन है कि परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1604/एक्ट/2015/560 दिनांक 24.7.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई-वाई) मिसब्राण्ड पाया गया जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी (अभियुक्तगण) सं० 3 लगायत 4 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, सपठित नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 के तहत एवं उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई-वाई) मिसब्राण्ड के विक्रय करने का दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्राण्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधानो को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त सं० 3 व 4 Mr. Khadga Paudel Incharge/Nominee M/S CG Foods Enterprise, 77 Sector 4, II E Pantnagar, (U.S. Nagar) Uttarkhand 263153 पर 5000/—(अक्षरे पांच हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.12.2017 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया



कमांक/7691-95

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री पवन कुमार पुत्र श्री भोलानाथ बंसल विक्रेता मैसर्स:- बंसल ट्रेडर्स, प्रधान जी का कटला, मैन मार्केट, महवा जिला-दौसा।
4. संजय अग्रवाल प्रो० मैसर्स दुर्गा मार्केटिंग, ए-7 बस्सी सीतारामपुरा, पानीपेच तिराहा, झोटवाडा रोड, जयपुर।
5. Mr. Khadga Paudel Incharge/Nominee M/s CG Foods Enterprise, 77 Sector 4, II E Pantnagar, (U.S. Nagar) Uttarkhand 263153,

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दिनांक:-27.12.2017

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा